

राजस्थान—सरकार
कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जयपुर ग्रामीण

फ़ोन:- 0141-2988391
E Mail- dlo.jair@rajasthan.gov.in

खुली निविदा पत्र

जयपुर जिले में राजकीय अम्बेडकर छात्रावासों के 12 स्थानों (गोविन्दगढ़, जमवारामगढ़, विराटनगर—(ओबीसी), दूदू तूंगा, बनेठी, उदयपुरिया, नायला, शाहपुरा (कन्या), जमवारामगढ़ (कन्या), मनोहरपुर, विराटनगर—(एसबीसी) में रसोईयां उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 15.05.2020 अथवा उक्त पदों पर नियमित कर्मचारी पदस्थापित होने तक जो भी पहले हो के लिये जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत/प्राधिकृत एजेन्सी से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है:—

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था/फर्म/एजेन्सी का नाम तथा डाक का पूरा पता
-
-

- दूरभाष:- मोबाइल:-
2. संदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक दिनांक
 3. निविदा शुल्क (टैण्डर फीस) नगद/डी.डी. द्वारा जमा करवाया जायेगा। राशि रु. रसीद/ डी.डी. संख्या दिनांक
 4. बोली प्रतिभूति राशि हेतु उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट सं. दिनांक राशि रु. संलग्न है।
 5. सेवा प्रदाय करने वाली संस्था का जी.एस.टी. पंजीयन सं. दिनांक दिनांक वैधता अवधि (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
 6. उपर्युक्त अंकित दरें दिनांक 15.05.2020 तक वैध है। समयावधि में वृद्धि पारस्परिक सहमति से की जा सकती है।
 7. जी.एफ.एण्ड ए.आर. एवं आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं 2013 के प्रावधान एवं वित्त विभाग के दिशा निर्देश एवं श्रम विभाग के नियम प्रभावी रहेंगे।
 8. निविदा सूचना संख्या दिनांक जो कि उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण के द्वारा जारी की गई है, मे वर्णित समस्त शर्तों की पालना के लिए हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठ मे दी गई है जिसके समस्त पृष्ठों पर

उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने की प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।

9. इस कार्य की बोली प्रतिभूति राशि (EMD) 19000/- रुपये होगी। जो उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण के नाम डी.डी./बैकर्स चैक से जमा करवाई जावेगी।
10. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी :—

क्र. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 (50 से अधिक कर्मकार होने पर रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है अथवा 50 से कम कर्मकार कार्यरत होने पर इस बाबत प्रमाण पत्र आवश्यक है)				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आय कर (ऐन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत ^{या} इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

11. क्रम संख्या 3, 4 एवं 10 में अंकितानुसार योग्य सेवा प्रदाता की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।


दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता मय पूर्ण पता

वित्तीय बोली / प्राईस बिड

रसोईयां उपलब्ध कराने के लिये बोली की दरें निम्नांकित प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी :—

क्र सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	रसोई कार्य के लिए दर प्रति छात्रावास (प्रतिमाह प्रति ईकाई) रूपये में सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि रूपये में (excluding GST)
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<p>राजकीय अम्बेडकर छात्रावासों के निम्न 12 स्थानों हेतु रसोईयां उपलब्ध कराने हेतु छात्रावास का नाम एवं छात्रों की स्वीकृत संख्या</p> <p>1 गोविन्दगढ — 50 2 जमवारामगढ —60 3 विराटनगर—ओबीसी —35 4 दूर्दू— 50 5 तूर्गा— 35 6 बनेठी— 35 7 उदयपुरिया— 25 8 नायला— 50 9 मनोहरपुर— 70 10 विराटनगर—एसबीसी—50 11 कन्या शाहपुरा—25 12 कन्या जमवारामगढ— 75</p>	श्रमिक की श्रेणी	न्यून तम मज दूरी दर (प्रति माह प्रति ईकाई) रूप ये	रसोई कार्य के लिए छात्रावासों की संख्या	कार्य की अनुमानित समयावधि			



1. छात्रावासों की संख्या में वृद्धि व कमी की जा सकती है।
2. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा केवल स्तम्भ संख्या 8 में ही बोलीदाता द्वारा अपना सेवा शुल्क भरना होगा।
3. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
4. सफल निविदा दाता द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से 4 दिवस की अवधि के भीतर प्रत्येक उक्त छात्रावासों हेतु रसोईया उपलब्ध करवाना है। ऊपर उद्धृत की गयी दरें दिनांक 15.05.2020 तक के लिये विधिमान्य हैं। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर आवश्यक होने पर नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।

दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

राजस्थान—सरकार
कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जयपुर ग्रामीण

फ़ोन:- 0141-2988391
E Mail- dlo.jair@rajasthan.gov.in

निविदा की मुख्य शर्तें

General terms & conditions of Bid & Contract:-

Important Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012" [hereinafter called the Act] and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 [hereinafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.raj.nic.in>. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (50 से अधिक कर्मकार होने पर रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है अथवा 50 से कम कर्मकार कार्यरत होने पर इस बाबत प्रमाण पत्र आवश्यक है) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
4. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
6. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर एवं राजस्थान राज पत्र (राजस्थान गजट) में प्रकाशित होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
7. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
8. संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु Helpling नम्बर एवं संवेदक/बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
9. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
10. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
11. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

12. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण के समक्ष प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
13. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
14. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar/Black list कराने की कार्यवाही की जायेगी।
16. यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत कराता है, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को दिया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
17. कार्मिक की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। कार्मिक की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।
18. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेंगी, यदि दर संविदा के अधीन कार्मिक उपाप्त किये जाने या उसके धर्टकों की बाजार कीमते इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।

5/ १५ क्रम संख्या

19. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
20. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या भाड़े (Sub-let) पर नहीं देगा।
21. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह 04 दिवस में कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।
22. बोलियों का अपवर्जन :— अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
23. बोली प्रतिभूति राशि ‘उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण’ के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जावेगी। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी। बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :—
- (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
- (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
- (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
- (घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।
- (ङ.) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
24. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :—
- (अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक ‘उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण’ के नाम पर जमा करानी होगी एवं राशि रुपये 500/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
- (ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

(स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

25. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):— कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :—

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो ।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो ।

(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो । कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा । इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा ।

26. भुगतान:—

(i) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जाएगा । अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा । विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा ।

27. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):— परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर छात्रावासों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है:—

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए -2.5%

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक - 5%
किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु - 7.5%
विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए-10%

(ङ.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा ।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी ।

(छ) यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है । किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।

- (ज) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।
28. जयपुर जिले में राजकीय अम्बेडकर छात्रावासों के 12 स्थानों (गोविन्दगढ़, जमवारामगढ़, विराटनगर (ओबीसी), दूदू, तूंगा, बनेठी, उदयपुरिया, नायला, शाहपुरा (कन्या), जमवारामगढ़ (कन्या), मनोहरपुर, विराटनगर एसबीसी) में रसोईयाँ उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 15.05.2020 अथवा उक्त पदों पर नियमित कर्मचारी पदस्थापित होने तक जो भी पहले हो के लिये जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत/प्राधिकृत एजेन्सी से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है।
29. कार्य की अवधि कार्यादेश स्वीकृति की तिथि से दिनांक 15.05.2020 तक मान्य होगी। उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण द्वारा आपसी सहमति से निविदा अनुबन्ध अवधी नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।
30. छात्रावासों में प्रति 50 छात्रों की एक ईकाई एवं इससे अधिक हेतु दो ईकाई मानी जावेगी। उक्त आधार पर या अनुपातिक रसोई की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। प्रस्तुत की जाने वाली दर प्रति ईकाई (50 छात्र) के अनुसार अंकित की जानी है। जिस ईकाई में 50 से अधिक छात्र होगे उनको तदनुसार ही पृथक ईकाई माना जावेगा।
31. सफल निविदादाता द्वारा भोजन बनाने के कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये गये कर्मकार की कार्यावाधि कार्य की अवधि समाप्त होते ही स्वतः ही समाप्त हो जावेगी एवं किसी भी स्थिति में कर्मकार नियमित नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
32. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मकार उपलब्ध करवायें जाएंगे। यदि किसी समय सेवाप्रदायकर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार कार्मिक उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर भोजन बनाने का कार्य सन्तोषजनक नहीं होने पर अनुमोदित राशि के आधार पर गणना कर उक्त कटौती के साथ आंकलित राशि की 10 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में बिल से काटी जाएगी।
33. सेवाप्रदायकर्ता को श्रम विधि नियम उपनियम व अधिसूचनाएँ आदि मे दिये गये दिशा निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व सेवा प्रदाय कर्ता का होगा। श्रम विधि नियम उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति मे उसके परिणामों/दायित्वों के लिए सेवा प्रदाय कर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। सेवा प्रदाय कर्ता को श्रम विधि नियम, उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों एवं श्रमिक हित मे जारी किये गये संशोधनों की पालना करने का दायित्व सेवाप्रदायकर्ता का होगा, पालना नहीं करने की स्थिति मे उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण को बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

34. सेवाप्रदायकर्ता द्वारा नियोजित श्रमिकों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरांत मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त दायित्व ,क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी सेवाप्रदायकर्ता की होगी। इसके लिए सरकार उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण जिम्मेदार नहीं होगा।
35. आयकर, जी.एस.टी. (TDS) एवं अन्य कटौतियां राज्य सरकार के नियमानुसार देय भुगतान में की जावेगी।
36. निविदा दाता द्वारा छात्रावासों में लगाये जाने वाले कार्मिकों का पूरा बायोडेटा मय फोटो के इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा।
37. यदि सेवाप्रदायकर्ता के कर्मचारी कार्य के दौरान छात्रावास की चल/अचल सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी वसूली सेवाप्रदायकर्ता के बिल में से काट के की जावेगी।
38. निविदा स्वीकृति/अनुमोदित आदेश के उपरान्त श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम-1970 की धारा की उप-धारा (2) तथा उसके अधीन बनाये गये राजस्थान श्रमिक नियम, 1971 के अन्तर्गत वांछित अनुज्ञाप्ति/लाईसेन्स प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
39. किसी भी छात्रावास पर कार्य न होने या आंशिक कार्य हाने की स्थिति में उस छात्रावास की बनने वाली पूर्ण राशि की कटौती सेवाप्रदायकर्ता के बिल में से की जावेगी। किसी भी छात्रावास पर कार्य नहीं करवाये जाने पर 500/- रुपये प्रतिदिन की शास्ति उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण द्वारा लगाई जा सकती है।
40. प्रत्येक माह ई.एस.आई./ई.पी.एफ. का मासिक ई.सी.आर. सेवाप्रदायकर्ता अपने सुपरवाईजर के पास कर्मकारों की जानकारी हेतु उपलब्ध करायेगा। उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण के नोटिस बोर्ड पर एक प्रति प्रत्येक माह लगानी होगी तथा अनुबंध समाप्त होने के एक माह में कुल ई.एस.आई./ई.पी.एफ. जमा का विवरण प्रत्येक कर्मकार को सेवाप्रदायकर्ता द्वारा उपलब्ध करना होगा। अनुबंध पश्चात उक्त विवरण कर्मकारों को उपलब्ध कराने के बाद ही प्रतिभूति राशि लौटायी जावेगी।
41. बिल के साथ संलग्न पी.एफ./ई.एस.आई. के चालान की प्रति पर यह अंकित करें “प्रमाणित किया जाता है कि उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण आदेश क्रमांक दिनांक..... के क्रम में जाँब बेसिस पर माह..... की अवधि में उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण में संबंधी कार्य/सर्विसेस हेतु नियोजित किये गये कर्मकारों/श्रमिकों के पी.एफ./ई.एस.आई. की राशि.....जो कि इस चालान की राशि..... में सम्मिलित है संबंधित विभाग में जमा करा दी गई है।”

42. बिल के साथ संलग्न जीएसटी के चालान की प्रति पर यह अंकित करें “ प्रमाणित किया जाता है कि उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण के आदेश क्रमांक..... दिनांक के क्रम में जयपुर में करवाये गये संबंधी कार्य/सर्विसेज की ऐवज में जीएसटी की राशि..... जो कि इस चालान की राशि में सम्मिलित है, संबंधित विभाग में जमा करा दी गई है।”
43. नियोक्ता का अंशदान उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण की ओर से जमा कराने के लिये राशि, सेवाप्रदायकर्ता द्वारा मांगी गई सकल राशि में शामिल मानी जावेगी।
44. कर्मकारों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय स्वयं के स्तर से देना होगा।
45. अनुमोदित सेवाप्रदायकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मकार सेवाप्रदायकर्ता द्वारा निर्धारित वर्दी में रहेगें। जिस पर सेवाप्रदायकर्ता का नाम/लोगो अंकित होगा एवं ड्यूटी के दौरान कर्मकार सेवाप्रदायकर्ता द्वारा जारी पहचान पत्र भी लगायेगा। सेवाप्रदायकर्ता को अपने कर्मकारों को वर्दी जिस पर सेवाप्रदायकर्ता का नाम अंकित होगा। ड्यूटी के दौरान पहनानी होगी। पहचान/परिचय पत्र एवं नेम प्लेट उपलब्ध कराने होंगे। जिस पर होने वाला समस्त व्यय सेवाप्रदायकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। यदि कोई कर्मकार निरीक्षण के दौरान बिना वर्दी या परिचय पत्र का पाया जावेगा तो प्रतिदिन रुपये 100/- की दर से शास्ति उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण द्वारा लगाई जा सकती है।
46. कर्मकारों द्वारा कार्य न करने, व्यवधान उत्पन्न करने, शराब व अन्य किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन किये हुये पाये जाने पर, अनापेक्षित आचरण, आपराधिक एवं अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सभी प्रकार की जिम्मेदारी सेवाप्रदायकर्ता की होगी एवं कर्मकार को सेवाप्रदायकर्ता द्वारा तुरन्त प्रभाव से हटाकर उसके स्थान पर नये उपयुक्त कर्मकार से कार्य करवाना होगा।
47. श्रम विधि नियम उपनियम, श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम—1970 की धारा उप—धारा (2) तथा उसके अधीन बनाये गये राजस्थान ठेका श्रमिक नियम 1971 की पालना करने एवं औदौगिक विवाद अधिनियम 1947 में निहित प्रावधानों अनुसार श्रम नियोजित कर्मकारों को हटाने कार्यमुक्त करने नोटिस, वेतन, छठनी, मुआवजा आदि देने व इस बाबत् समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का उत्तरदायित्व अनुबंधित सेवाप्रदायकर्ता का होगा। श्रम विधि नियम, उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये सेवाप्रदायकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। सेवाप्रदायकर्ता को श्रम विधि नियम, उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों एवं कार्मिक हित में जारी किये गये संशोधनों की पालना करने का

दायित्व सेवाप्रदायकर्ता का होगा, पालना नहीं करने की स्थिति में उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

48. यदि सेवाप्रदायकर्ता के किसी कृत्य या अपकृत्य से व्यथित होकर कोई कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण को भी पक्षकार बनाता है तो संबंधित न्यायालय में एड़वाकेट एवं जवाब पेश करने आदि में उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण पर पड़ने वाला समस्त आर्थिक भार सेवाप्रदायकर्ता से वसूल किया जायेगा।
49. सेवाप्रदायकर्ता द्वारा किसी भी कर्मकार से प्रतिदिन 08 घण्टे की अवधि से अधिक सेवाये नहीं ली जावेगी।
50. सेवाप्रदायकर्ता द्वारा उक्त कार्य में लगाये जाने वाले कर्मकारों की सूची उनके पासपोर्ट फोटो सहित संबंधित कार्य के प्रभारी/नियंत्रक को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। इन कर्मकारों के नियमित पुलिस वेरीफिकेशन कराने की जिम्मेदारी सेवाप्रदायकर्ता की होगी। सेवाप्रदायकर्ता के पास जिन कर्मकारों के नवीन पुलिस वेरीफिकेशन की सूची व सत्यापित प्रतियां कार्य के प्रभारी/नियंत्रक द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध आपराधिक न्यायिक मामला चल रहा हो तो उस श्रमिक को सेवाप्रदायकर्ता उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण में उपलब्ध नहीं करायेगा।
51. निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर (ग्रामीण) को होगा।

मैंने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 51 तक को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत हैं। सहमति स्वरूप निविदा की सामान्य शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

रसोई के कार्य का विवरण एवं शर्तः—

1. आवासी छात्रों के लिये नाश्ता:- दूध, पोहे, दलिया, अंकुरित चने एवं अन्य आइटम बनाना।
2. आवासी छात्रों के लिये सुबह का भोजन जिसमें दाल, चावल, सब्जी चपाती, दही, सलाद आदि बनाना।
3. आवासी छात्रों के लिये रात का भोजन बनाना जिसमें दाल चपाती, खिचडी, चावल सब्जी, दूध आदि बनाना।
4. रसोई की साफ—सफाई रखना व प्रयोग में आने वाले बर्तनों की साफ—सफाई, देखभाल व सुरक्षा करना।
5. सप्ताह में एक बार छात्रों हेतु विशेष भोजन (स्पेशल डाईट) बनानी होगी।
6. आवासी छात्रों के लिये दूध, नाश्ता, भोजन, फल आदि के वितरण में व खिलाने में सहयोग करना।
7. खाद्य सामग्री का अपव्यय नहीं करना, समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होना चाहिये, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना, स्वयं की खर्च पर ड्यूटी पर उपस्थित होना, कठोर एवं अप्रिय भाषा का प्रयोग नहीं करना, सम्पूर्ण प्रक्रिया में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना आदि।
8. छात्रावास अधीक्षक के आदेशानुसार रसोई संबंधी कार्यों की पालना करना।
9. निदेशालय द्वारा जारी मीनू एवं छात्रावास अधीक्षक द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशानुसार रसोई संबंधी कार्य करना।
10. रसोईयां के प्रयोग में आने वाली सामग्री या सामान की सख्त्या में कमी दुरुपयोग व खराब होने पर सेवाप्रदायकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।
11. रसोई का कार्य पूर्ण करने हेतु ड्यूटी का समय प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक एवं सांयकाल 4.00 बजे से 8.00 बजे तक होगा।
12. विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली व्यवस्था :— (1) रसोई में आवश्यकतानुसार प्रयोग में आने वाले बर्तन, उपकरण, गैस आदि उपलब्ध करवाए जायेंगे। (2) नाश्ता, भोजन आदि बनाने की सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाई जायेगी। (3) रसोई की साफ—सफाई में प्रयोग में आने वाला समस्त सामान उपलब्ध करवाया जायेगा।

मैंने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 12 को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिये सहमत हैं।

दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता

घोषणा पत्र

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमने निविदा शर्तों के विरुद्ध कोई शर्तें नहीं लगाई हैं यदि कहीं अंकित कर दी गई हैं तो निविदा स्वतः अस्वीकार मानी जायेगी।

यह है कि श्रम विभाग मे श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या दिनांक है। यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर सकेगा। और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई तो उसे निरस्त कर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी) जब्त कर लेगा।

दिनांक:-

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता

✓

✓ *Shrawan* ✓ *Suresh*

✓

करार पत्र

यह करार पत्र आज दिनांकमाह.....सन.....को एक पक्ष के(जिसे इसमें आगे अनुमोदित निविदा कर्ता कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे सरकार कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।

1. चूंकि निविदाकर्ता राजस्थान राज्य के उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण के अधीन राजकीय अम्बेडकर छात्रावास जयपुर जिले में 12 स्थानों (गोविन्दगढ़, जमवारामगढ़, विराटनगर (ओबीसी), दूदू तूंगा, बनेठी, उदयपुरिया, नायला, मनोहरपुर, शाहपुरा (कन्या), जमवारामगढ़ (कन्या) एवं विराटनगर- (एसबीसी) हेतु रसोइयां उपलब्ध करवाने हेतु निविदा में दी गई शर्तों में दिये गये तरीके से तथा कार्यादेश संख्या दिनांक में दी गई दरों पर प्रदाय करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।

2. एवं चूंकि सेवा प्रदाय कर्ता ने रूपये की राशि निम्न प्रकार से जमा करायी है:-

(1.) नकद/बैंक ड्राफ्ट/चालान संख्या/बैंकर्स चैक/रसीद संख्यादिनांक.....द्वारा
(2.) विभागीय प्राधिकारियों के पास विधिवत रेहन रखकर डाकघर बचत बैंक पासबुक के रूप में,
(3.) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों/डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स/किसान विकास पत्रों या किन्ही अन्य स्क्रिप्ट/इन्स्ट्रमेन्ट्स के रूप में, यदि इन्हे सम्बन्धित नियमों के अधीन (प्रमाण पत्र उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किये जाएंगे) उक्त करार के निष्पादन के लिए प्रतिभूती के रूप में गिरवी रखा जा सकता है।

3. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है।

(1) कार्यादेश सं. दिनांक..... दी गई दरों पर के मार्फत सरकार द्वारा किये जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में सेवा प्रदायकर्ता.....में तथा निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिये गये तरीके से उक्त रसोइये संबंधी कार्य करेगा।
(2) निविदा सूचना संख्या दिनांक से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा एवं कार्य करने की शर्तों को तथा इस करार पत्र से जुड़ी शर्तों को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिया हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होगी।
(3) सेवा प्रदायकर्ता कार्यादेश सं. दिनांक..... में उल्लेखित अवधि/तिथि तक निर्धारित मात्रा में रसोइया निर्धारित स्थल पर प्रदाय करेगा।

4. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निवाचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार (उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण) द्वारा विनिश्चित किये जाएँगे तथा सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

इसकी साक्षी मे इसमे पक्षकारों ने आज दिनांक माह सन को अपने हस्ताक्षर किये।

हस्ताक्षर

अनुमोदित प्रदाय कर्ता के हस्ताक्षर पदनाम

द्वितीय पक्ष
उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जयपुर ग्रामीण

साक्षी सं. 1

साक्षी सं. 1

साक्षी सं. 2

साक्षी सं. 2

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
 - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
 - d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is FS (Budget) Finances Department Secretariate Rajasthan, Jaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority is ACS Finances Department, Secretariate Rajasthan, Jaipur

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a) Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
 - (i) hear all the parties to appeal present before him: and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.





Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :

- (i) Name of the appellant :
- (ii) Official address, if any :
- (iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):

- (i)
- (ii)
- (iii)

Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

3. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

4. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :


5. Grounds of appeal :

.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

6. Prayer :

Place
Date

Appellant's Signature



Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

- I. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- II. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and total shall be corrected; and
- III. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.
if the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)
As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter or procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

224

Annexure E

Clause 1: Fair Wage Clause

- (a) The Contractor shall pay not less than fair wages/minimum wages to labours engaged on the work as revised from time to time by the Government, but the Government shall liable to pay any thing extra for it except as stipulated in price escalation clause (clause)

Explanation: "Fair Wage" means minimum wages for time or piece work, fixed revised by the State Government under the Minimum Wages Act, 1948.

1. Contractor shall, notwithstanding the provision of any contract to the contrary, cause his sub-contractors to pay full wages to labourers indirectly engaged on the work, including any labour engaged immediately or directly employed by him.

In respect of all labourers, immediately or directly employed on the work, for the purpose of the Contractor's part of this agreement, the Contractor shall comply with or cause to be complied with the Public Works Department Contractor's Labour Regulations made, or to be made by the Government, from time to time, in regard to payment of wages, wage period, deductions from wages, recovery of wages not paid, and unauthorised deduction, maintenance of wages register, wage card, publication of scale of wages and other matters of employment, inspection and submission of periodical returns and other matters of a like nature.

The Engineer-in-charge shall have the right to deduct from the money due to the Contractor any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers, by reasons of non-fulfilment of the conditions of the contract, for the benefit of a worker or workers, non-payment of wages or of deductions made therefrom, which are not justified by the terms of the contract, or as a result of non-observance of the above regulations.

2. Vis-à-vis the Municipal Corporation Jaipur, the Contractor shall be primarily liable for payments to be made and for the observance of the regulations aforesaid, without prejudice to his right to claim indemnity from his subcontractors.

The regulations, aforesaid, shall be deemed to be part of this contract and any breach thereof shall be breach of the contract.

2. Contractor to engage technical staff

The Contractor shall engage the technical staff, as follows, on the contract works:-

For works costing Rs. 100 lac and above- One Graduate Engineer.

For works costing between Rs. 50 lac to Rs. 100 lac- One qualified diploma holder having experience of not less than 3 years.

For works costing between Rs. 15 lac and Rs. 50 lac- One qualified diploma holder.

Technical staff should be available at site, whenever required by Engineer-in-charge to carry out his functions.

by O/ O/ O/ O/

3: Contractor shall comply with the provisions of the Apprenticeship Act, 1961, and the Rules and Orders issued, there under, from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of contract. The Contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of violation by him of the provisions of the said Act.

Clause 4: Safety Code

Contractor shall follow the safety code of electricity Strictly.

Clause 5:

Relatives barred from tendering

Contractor shall not be permitted to tender for works in Circle, in which his near relative is posted as Divisional Accountant or as an officer in any capacity between the grades of Superintending Engineer and Assistant Engineer (both inclusive). He shall also intimate the names of persons, who are working with him in any capacity, or are subsequently employed by him and who are near relatives to any gazetted officer in the Organization/Department. Any breach of this condition by the Contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of the Department. If such facts is noticed (a) before sanction of tender, his offer shall be declared invalid and earnest money shall be forfeited, (b) after sanction of the tender then the tender sanctioning authority may at his discretion forfeit his earnest money, performance guarantee, security deposit and enlistment deposit and the work/remaining work may allot to any registered contractor on the same rates as per rules.

Note: By the term 'near relative' is meant wife, husband, parents and grand-parents, children and grand children, brothers and sisters, uncles and cousins and their corresponding in-laws.

Clause 6: Retired Gazetted Officers barred for 2 years

No Officer of Gazetted rank or other Gazetted Officer, employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the Government of Rajasthan, is allowed to work as a Contractor for a period of 2 years of his retirement from Government service without the previous permission of Government of Rajasthan. The contract is liable to be cancelled, if either the Contractor or any of his employees is found, at any time, to be such a person, who had not obtained permission of Government, as aforesaid, before, submission of the tender or engagement in the Contractor's service, as the case may be.

Clause 7: Quality Control

Municipal Corporation Jaipur shall have right to exercise proper Quality Control measures. The Contractor shall provide all assistance to conduct such tests and shall bear the cost of all tests.

whether full constructed or not) and all materials, machines, tools and plant, scaffolding,

✓ 20

Temporary buildings and other things connected therewith, shall be at the risk of the contractor until the work has been delivered to the Engineer-in-charge, and a certificate from him, to the satisfaction of the Contractor or the Chief Engineer or duly authorised Engineer shall have been obtained.

Clause 9: Death of Contractor

Without prejudice to any of the rights or remedies under the contract, if the Contractor dies, the heirs of the Contractor or the Chief Engineer or duly authorised Engineer shall have the option of terminating the contract without any compensation.

Clause 10 : Force Majeure

Neither party shall be liable to each other, for any loss or damage, occasioned by or arising out of acts of God such as unprecedented floods, volcanic eruptions, earthquake or other invasion of a country and other acts.

Clause 11: General Discrepancies and errors:

In case of percentage rate tenders, if there is any typographical or clerical error in the rates shown in the department in the "G" Schedule, the rates as given in the basic Schedule of Rates of the department for the area shall be taken as correct.

Clause 12 : Post payment Audit & Technical Examination:

The Government shall have right to provide a system of per-check of Contractor's bill by a specific organization, and payment by an Engineer or an Accounts Officer/ Sr. Accounts Officer/ Contracting Accounts Officer/ Financial Advisor, as the Government may in its absolute discretion prescribe. Any over-payment/ excess payment detected, as a result of such per-check post-check of Contractor's bill, can be recovered from the contractor's bills in the manner, herein before provided and the Contractor will refund such over/ excess payments.

Clause 13 : Check Measurements:

The department reserves to itself, the right to prescribe a scale of check measurement of work general or specific scale for specific works or by other special orders (about which the decision of payment shall be final). Checking of measurement by superior officer shall supersede measurements by the subordinate officer and the former will become the basis of the payment. A sum of payment detected, as a result of such check measurement or otherwise at any stage up to date of completion and the defect removal period specified elsewhere in this contract, shall be payable from the Contractor, as any other dues payable to the Government.

Clause 14: Check Measurements:

Scanned by CamScanner

b5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

21

The Contractor in course of the work should understand that all materials e.g. stone, bricks, steel other materials obtainable in the work by dismantling etc. will be considered as the property of Government and will be disposed off to the best advantage on the Government. As per direction of the Engineer-in-Charge.

Clause 15: Recovery from Contractors:

Whenever any claim against the Contractor for the payment of a sum of money arises out of or in the contract, the Department shall be entitled to recover such sum by appropriation in part or whole of the Performance Guarantee and / or Security Deposit, Security Deposit at the time of enlisting the Contractor. In the event of the security being insufficient, or if no security has been paid thereafter, may become due to the Contractor, under this or any other contract with the Government of Rajasthan. Should this sum be not sufficient to cover the full amount recoverable the Contractor shall pay to the Department on demand the balance remaining dues.

The department shall, further, have the right to effect such recoveries under Public Debt Recovery Act.

Clause 16: Jurisdiction of Court:

In the event of any dispute arising between the parties hereto, in respect of any of the matters comprised in this agreement, the same shall be settled by a competent court having jurisdiction over the place, where agreement is executed and by no other court, after completion of proceedings in Clause 23 of this contract.

b/s
G/
A/c or b/s